



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक ३०]

बुधवार, जुलै ८, २०२६/आषाढ १७, शके १९४८

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ५८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय

महाराष्ट्र विधानपरिषद में दिनांक ७ जुलाई, २०२६ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम ११३ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :-

L. C. BILL No. XIX OF 2026.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA COEP TECHNOLOGY
UNIVERSITY ACT, 2022.

विधान परिषद का विधेयक क्रमांक १९ सन् २०२६।

महाराष्ट्र सीओईपी तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०२२ में अधिकतर संशोधन करने
संबंधि विधेयक ।

सन् २०२२ का महा. २०२२ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न
३५। अधिनियम अधिनियमित किया जाता है : —

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र सीओईपी तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम २०२६ संक्षिप्त नाम।
कहलाए।

(१)

सन् २०२२ का
महा. ३५ की धारा
१९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सीओईपी तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम २०२२ (जिसे इसमें आगे, “मूल अधिनियम” कहा गया है) की, धारा १९, की उप-धारा (४) के खंड (च) में “महाराष्ट्र विश्वविद्यालय लेखा संहिता” शब्दों के स्थान में, “महाराष्ट्र विश्वविद्यालय वित्त और लेखा संहिता” शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०२२ का महा.
३५।

सन् २०२२ का
महा. ३५ की धारा
४३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ४३ की, उप-धारा (ढ) में “धारा ६० की उप-धारा (६)” शब्दों, कोष्टक और अक्षर के स्थान में, “धारा ६० की उप-धारा (६) और (७)” शब्द, कोष्टक और अक्षर रखे जाएंगे।

सन् २०२२ का
महा. ३५ की धारा
४४ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ४४ की, उप-धारा (९) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

“(१०) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के पास समान परिनियम विहित करने की शक्ति होगी, जो विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होगी।”।

सन् २०२२ का
महा. ३५ की धारा
५६ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ५६ के खंड (चार) में, “क्रय और विक्रय समिति” शब्दों के स्थान में, “क्रय समिति” शब्द रखे जाएंगे।

सन् २०२२ का
महा. ३५ की धारा
५९ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ५९ की, उप-धारा (५) के खंड (ड) के स्थान में, निम्न खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“विश्वविद्यालय के कार्यों के लिए तीन से पाँच वास्तुकारों और अन्य विशेष सलाहकारों, परियोजना प्रबंधन सलाहकारों, संरचनात्मक सलाहकारों, सिद्ध अनुभव और गुणवत्ता वाली कार्यकारी एजेंसी का एक पैनल तैयार करना और इसे शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित कराना;”।

सन् २०२२ का
महा. ३५ की धारा
६० में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ६० की, उप-धारा (१) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(१) विश्वविद्यालय के क्रय से संबंधित सभी मामलों का निपटान करने के लिए एक क्रय समिति होगी;”।

सन् २०२२ का
महा. ३५ की धारा
७६ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ७६ की, उप-धारा (१) में, “लेखा संहिता” शब्दों के स्थान में, “महाराष्ट्र विश्वविद्यालय वित्त और लेखा संहिता” शब्द रखे जाएंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र सीओईपी तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम २०२२ (सन् २०२२ का महा. ३५) सीओईपी तकनीकी विश्वविद्यालय को एक विशेष तकनीकी एकात्मक सार्वजनिक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित और निगमित करने, अनुसंधान उद्योगों और निगमित औद्योगिक सहयोगियों के साथ सहयोग करने, उच्च विकास वाले क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को वर्टिकल मोबिलिटी प्रदान करने और छात्रों को लाभकारी रोजगार के लिए तैयार करने, शिक्षण, अधिगम, प्रशिक्षण, अनुसंधान परामर्श, परीक्षण और विस्तार के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रबंधन और विकास संगठन प्रदान करने, उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने, उद्योगों के साथ अनुसंधान पार्क बनाने और नई शिक्षा नीति में परिकल्पित उद्देश्यों को प्रभावी बनाने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. राज्य के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय की लेखा प्रक्रिया में एकरूपता लाने, विश्वविद्यालय की सुचारू कामकाज के लिए राज्य सरकार को समान परिनियम विहित करने का अधिकार देने और उसमें परिणामी संशोधन करने की दृष्टि से सरकार उक्त अधिनियम की धारा १९, ४३, ४४, ५६, ५९, ६० और ७६ में यथोचित से संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ५ जुलाई, २०२६।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित ७ जुलाई, २०२६।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,

उच्चतर तथा

तकनीकी शिक्षा मंत्री ।

डॉ. विलास आठवले,

सचिव (३),

महाराष्ट्र विधानपरिषद ।